न्यायालय जज

3/3/15 वादीनी व प्रतिवादी सं. 5 के वकील आये। पत्रावली तलबी। जवाब हेतु दिनांक 10/3/15 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादीगण की दरख्वास्त का जवाब वादिनी की तरफ से पेश हुआ जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली दिनांक 10/3/15 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

10-3-15 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र बहस हेतु वादीनी वकील अतिरिक्त अवसर चाहते हैं जो दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 11-3-15 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

11-3-15 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 1, 2 के वकील द्वारा दिनांक 17-4-2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 11 (a) व (d) आदेश 7 सपठित धारा 151 CPC हेतु रिजेक्ट करने वादपत्र का जवाब वादीनी वकील द्वारा दिनांक 3-3-15 को पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र के संबंध में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस को सुना गया। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश हेतु दिनांक 17-3-15 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

17-3-15 दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 ने (गोपाराम) ने अपने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि वादीगण ने वर्तमान वादपत्र अन्तर्गत धारा 40 राज. काश्तकारी अधिनियम अर्थात आवासियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में उत्तराधिकार के आधार पर वर्तमान वाद संस्थित किया है। वादीनिया सभी भील जाति की हैं, भील जाति अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आती है। केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजाति के भील जाति के व्यक्तियों या महिलाओं पर लागू करने के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना आज दिन तक जारी नहीं की है। वादपत्र वादीगण में भी ऐसी किसी केन्द्र सरकार की अधिसूचना का उल्लेख तक नहीं है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

माननीय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ के आदेशकारी निर्णय से भली भांति स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार के अधिनियम 1956 के प्रावधान अनुसूचित जाति के भील सदस्यों / महिलाओं पर लागू नहीं होते हैं, अर्थात वादपत्र वादीगण में दर्ज कथनों से ही प्रतीत है कि वादपत्र वादीगण विधि द्वारा वर्जित है। वाद कारण उत्पन्न होने के तथ्यों के अभाव में वादपत्र वादीगण का वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है, इस प्रकार वाद प्रकरण वादीगण अन्तर्गत नियम 11 (क) व (घ) आदेश 7 CPC विधि द्वारा वर्जित होने से नामन्जूर किये जाने योग्य है। श्री न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर वादपत्र वादीगण नामंजूर करने का आदेश फरमावें।

प्रतिवादीगण की दरख्वास्त का जवाब वादीनी की तरफ से पेशबाईन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भील जाति के लोग हिन्दू धर्म को मानते हैं तथा दीगर हिन्दुओं की तरह ही खातेदार की मृत्यु पर उसकी जायदाद का नामान्तरण उसके वारिसान में होता है, वादीनी स्वर्गीय अन्नाराम की वारिस है, वादीनी ने दावा सही तथ्यों के आधार पर पेश किया है। वादीनी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादपत्र पेश किया है काश्तकारी अधिनियम एक विशिष्ट विधि है, जिसमें "भील" जाति के व्यक्तियों द्वारा पेश करने की मनाही नहीं है।

दावा किसी विधि द्वारा लाने की मुमानियत नहीं है जिससे दावा सरसरी दृष्टि में खारिज नहीं किया जा सकता है प्रतिवादीगण को अपने तमाम उज्र जवाबदावा के जरिये लेकर इस पर तनकी बनाकर तय करवाना चाहिये। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली का व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया व अध्ययन किया।

यह तथ्य स्वीकृत है कि पक्षकारान अनुसूचित जन जाति "भील" के सदस्य हैं और वर्तमान वाद पैतृक सम्पत्ति होने का कथन कर एवं अन्नाराम की पुत्रियां

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

होने या अधिकथन वादपत्र में किया गया है। [illegible] के हक हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के द्वारा जारी मार्गदर्शन अनुसार भी जब जाति [illegible] के लिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में वादीनिया को अन्य [illegible] की सुविधा है, व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित अभिनिर्णय RRT 2006 (2) Page 1215 के मार्गदर्शन अनुसार वर्तमान वादपत्र चलने योग्य नहीं पाया जाता है। वादपत्र प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC पर निर्णीत किया जा सकता है, उसके लिये न्यायालय की आवश्यकता नहीं होती है, यही व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा DNJ SC 2003 (1) Page 108 द्वारा दी गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वादपत्र वादी विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थना पत्र प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादपत्र खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा